**भारत सरकार**
**गृह मंत्रालय**
**राज्य सभा**
**अतारांकित प्रश्न संख्या 1997**
**दिनांक 06 अगस्त, 2025/ 15 श्रावण, 1947 (शक) को उत्तर के लिए**

**जेल क्षमता, विचाराधीन कैदी और न्यायिक प्रक्रिया**

**1997# श्री रामजी लाल सुमनः**

**क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः**

**(क) क्या यह सच है कि जेलों में उनकी क्षमता से अधिक कैदी हैं;**

**(ख) वर्तमान में जेलों में विचाराधीन कैदियों की संख्या कितनी है;**

**(ग) जेलों में विचाराधीन कैदियों की बढ़ती संख्या को देखते हुए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं;**

**(घ) विगत पांच वर्षों में कितने विचाराधीन कैदी निर्दोष साबित हुए और जेलों से रिहा हुए?**

**उत्तर**

**गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री**
**(श्री बंडी संजय कुमार)**

(क): राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा उसे रिपोर्ट किए गए जेल आँकड़ों को संकलित करता है और उन्हें अपने वार्षिक प्रकाशन "प्रिजन स्टेटिस्टिक्स इंडिया" में प्रकाशित करता है। नवीनतम प्रकाशित रिपोर्ट वर्ष 2022 की है। 31.12.2022 तक, देश की सभी जेलों की कुल उपलब्ध क्षमता 4,36,266 थी, जिसके सापेक्ष 5,73,220 कैदी उनमें बंद थे।

(ख): 31.12.2022 तक देश की जेलों में 4,34,302 विचाराधीन कैदी बंद थे।

(ग): भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची II की प्रविष्टि 4 के अनुसार "कारागार/उनमें बंद व्यक्ति" एक "राज्य-सूची" विषय है। इसलिए जेलों और कैदियों का प्रशासन और प्रबंधन विशेष रूप से संबंधित राज्य सरकारों के अधिकार क्षेत्र में आता है। हालाँकि, गृह मंत्रालय ने इस विषय में राज्य सरकारों के प्रयासों को बल देने के लिए कई कदम उठाए हैं। इनमें से कुछ का उल्लेख नीचे किया गया है:

(i) भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) की धारा 479(1) में यह प्रावधान है कि 'इस संहिता के

अंतर्गत जहां कोई व्यक्ति किसी विधि के अधीन किसी अपराध (जो ऐसा अपराध नहीं है जिसके लिए मृत्यु या आजीवन कारावास का दंड उस विधि के अधीन दंडों में से एक के रूप में विनिर्दिष्ट किया गया है) के अन्वेषण, जांच या विचारण की अवधि के दौरान उस विधि के अधीन उस अपराध के लिए विनिर्दिष्ट कारावास की अधिकतम अवधि की आधी अवधि तक निरुद्ध रहा है, वहां उसे न्यायालय द्वारा जमानत पर रिहा किया जाएगा।'

बीएनएसएस की धारा 479(1) के परंतुक में पहली बार अपराध करने वालों/विचाराधीन कैदियों के लिए भी राहत का प्रावधान किया गया है कि, जहां ऐसा व्यक्ति प्रथम बार अपराधी है (जिसे पूर्व में कभी किसी अपराध के लिए दोषसिद्ध नहीं किया गया है) उसे न्यायालय द्वारा बांड पर रिहा किया जाएगा, यदि वह उस कानून के अधीन ऐसे अपराध के लिए निर्दिष्ट कारावास की अधिकतम अवधि की एक-तिहाई अवधि तक निरुद्ध रह चुका है।

(ii) भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 के अध्याय XXII में प्रतिवादी और अभियोजन पक्ष के बीच विचारण-पूर्व समझौते का प्रावधान है। यह एक ऐसा प्रयोजन है, जिसके माध्यम से प्रतिवादी को हल्का दंड मिल सकता है और यह कम लागत वाला है, प्रतिवादी और न्यायालय दोनों का समय बचाता है तथा इसमें मामले का शीघ्र निपटान हो जाता है।

(iii) राज्य विधिक सेवा प्राधिकरणों ने जरूरतमंद व्यक्तियों को मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान करने के लिए जेलों में विधिक सेवा क्लिनिक स्थापित किए हैं। इन क्लिनिकों का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि कोई भी कैदी प्रतिनिधित्व से वंचित न रहे और उन्हें कानूनी सहायता और सलाह आसानी से उपलब्ध हो। इसके अतिरिक्त, राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (NALSA) मुफ्त कानूनी सहायता, प्ली बारगेनिंग, लोक अदालतों और कैदियों के कानूनी अधिकारों, जिनमें जमानत का अधिकार भी शामिल है, की उपलब्धता के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए जेलों में जागरूकता शिविर आयोजित करता है।

(iv) सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को परिचालित मॉडल जेल मैनुअल 2016 में "कानूनी सहायता" और "विचाराधीन कैदियों" आदि पर विशिष्ट अध्याय हैं, जो विचाराधीन कैदियों को प्रदान की जाने वाली सुविधाओं, जैसे कानूनी बचाव, वकीलों से साक्षात्कार, सरकारी खर्च पर कानूनी सहायता के लिए न्यायालयों में आवेदन आदि पर विस्तृत दिशानिर्देश प्रदान करते हैं।

गृह मंत्रालय ने समय-समय पर राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को उपरोक्त बातों से अवगत कराते हुए कई एडवाइजरीस जारी की हैं और उनसे जेलों में विचाराधीन कैदियों/अति भीड़भाड़ की समस्या के समाधान के लिए इन उपायों को अपनाने का अनुरोध किया है। ये एडवाइजरीस गृह मंत्रालय की वेबसाइट पर उपलब्ध हैं।

(घ): इस संबंध में विशिष्ट जानकारी केंद्रीय स्तर पर उपलब्ध नहीं है।

*****